संख्या-258/2020/497/22-2-2020-17(166)/2020

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 13 जुलाई, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतीश ऊर्फ सत्ते पुत्र श्री भोपाल, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर हाल जनपद-शामली की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14136/प्रोवेशन-3/फार्म-ए (एम-05.06.2020) दिनांक-08.06.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतीश ऊर्फ सत्ते पुत्र श्री भोपाल, निवासी ग्राम-खेड़ी पट्टी, थाना-भौरी कलां, जनपद-मुजफ्फरनगर हाल जनपद-शामली का रहने वाला है। बन्दी ने फिरौती की रकम वसूलने के लिए नैपाल सिंह के पुत्र विशाल का दिनांक 12-06-2002 को अपने 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपहरण किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1033/2002 में भा0द0वि0 की धारा-**364**ए के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी01, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 05.01.2005 द्वारा आजीवन कारावास व 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के अन्तर्गत 05 वर्ष की सजा से दण्ड से दण्डित किया गया है, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.04.2017 द्वारा एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12.10.2007 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 05.06.2020 तक 16 वर्ष 06 माह 18 दिन अपरिहार सजा एवं 21 वर्ष 06 माह 12 दिन सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, शामली की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 29.01.2018 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी के साक्षात्कार उपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 12-06-2002 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ फिरौती की रकम वसूलने के लिए नैपाल सिंह के पुत्र विशाल का अपहरण करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु लगभग **53** वर्ष 09 माह है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सतीश ऊर्फ सत्ते पुत्र श्री भोपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- उपरोक्त तथ्यों तथा विशेष अनुज्ञा/अपील (किमिनल) संख्या-7369/2019 सतीश ऊर्फ सत्ते बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.02.2020 के अनुपालन में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बंदी सतीश ऊर्फ सत्ते (बन्दी संख्या-12110) पुत्र श्री भोपाल, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर हाल जनपद-शामली के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार कर दी गयी** है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-258/2020/497(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शामली ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-258/2020/497/22-2-2020-17(166)/2020

दिनांक 13 जुलाई, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतीश ऊर्फ सत्ते पुत्र श्री भोपाल, निवासी ग्राम-खेड़ी पट्टी, थाना-भौरी कलां, जनपद-मुजफ्फरनगर हाल जनपद-शामली का रहने वाला है। बन्दी ने फिरौती की रकम वसूलने के लिए नैपाल सिंह के पुत्र विशाल का दिनांक 12-06-2002 को अपने 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपहरण किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1033/2002 में भा0द0वि0 की धारा-**364**ए के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी01, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 05.01.2005 द्वारा आजीवन कारावास व 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के अन्तर्गत 05 वर्ष की सजा से दण्ड से दण्डित किया गया है, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.04.2017 द्वारा एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12.10.2007 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 05.06.2020 तक 16 वर्ष 06 माह 18 दिन अपरिहार सजा एवं 21 वर्ष 06 माह 12 दिन सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, शामली की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 29.01.2018 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी के साक्षात्कार उपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 12-06-2002 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ फिरौती की रकम वसूलने के लिए नैपाल सिंह के पुत्र विशाल का अपहरण करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु लगभग **53** वर्ष 09 माह है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सतीश ऊर्फ सत्ते पुत्र श्री भोपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in